



संक्रमण रोकने अब 17 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कपर्ट

जारी रहेंगी पात्र

कोरोना कार्पर्ट के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी गुप्त

केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, ऐसे कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंग। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेकट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कौशलय, कोविड डियूटी आदि सम्मिलित हैं। आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिनेट को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपरिक्ति वे लिये निर्धारित कार्यालयों के संचालन में बंधन अनुसार शेष कर्मचारी वक्र प्रॉफ होम कर सकेंगे। अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेन्स कम्पनीज, अन्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। केमिस्टरी किराना दुकानें केवल होम डिलेवरी के लिये, रेस्टोरेंट के केवल टेक होम डिलेवरी के लिए, पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम को आदेश के तहत मुक्त रखा गया है। औद्योगिक इकाईयों के अधिकृत कर्मचारियों का आवागमन, जिन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो, वे इन आदेश के तहत मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें बंद रहेंगी जिन व्यक्तियों को इस महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा द्वारा प्रदाय के माध्यम से राशन वितरित किया जायेगा।

માર્ગદાર કંસ્ટ્રક્શન સાઈટ યા પરિસર મેલા
લુકે હોણ. સંઘાલિત હો સકેંગી

ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति को विड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा। इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, पीडीएस की दुकानें, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हार्डिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षणीयों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक टोकन दिखाने पर तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अन्य राज्यों से ग्रामीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे से माल, सेवाओं का आवागमन बायपास से होते हुये परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में छूट रहेंगी। रेल्वे स्टेन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा। आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखे गये हैं।



सांसद ने भेजा वेक्षिसनेशन रथ

टीकाकरण के प्रति लोगों को करेगा जागरूक

कटनी। कोरोना महामारी से बचाव हेतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं एवं भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन- 2 के तहत लगातार नागरिकों की हर संभव मदद की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के सांसद विष्णुदत्त शर्मा द्वारा वैक्सिनेशन अभियान को गति प्रदान करने और अधिक से अधिक संख्या में 18 से 44 वर्ष के आयु के नागरिकों के वैक्सिनेशन के लिए सांसद विष्णुदत्त शर्मा के सौजन्य से वैक्सिनेशन रथ तैयार किया गया है, जो आज कटनी पहुंच गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सांसद विष्णुदत्त शर्मा जिले की जनता के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं, कोरोना संकट की इस घड़ी में सांसद द्वारा लगातार कटनी की जनता की सहायता की जा रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सिनेशन रथ जिले की तीनों विधानसभा में भ्रमण करेगा एवं 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों के वैक्सिनेशन में मदद करेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है।

लोगों को जागरूक करने स्वयंसेवकों ने संभाला मोर्चा

नेहरू युवा केंद्र के वालिंटियर्स ने गांवों में चलाया जागरूकता अभियान



कटनी। कोरोना संक्रमण की इस विकट परिस्थिति में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एवं जिला युवा अधिकारी कु कीर्तिका कुहर के नेतृत्व में जले के विभिन्न गांव, ग्राम पंचायतों में गठित युवा/महिला मंडल एवं नव चयनित एवं पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के सहयोग से कोरोना बीमारी से बचाओं द्वेषु गाँव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के ग्राम धरवारा, उमरिया पान, घुघरा, सिलोड़ी, भुला, पड़रभटा, महगांव, कारी पाथर, विकासखण्ड बडवारा के गाँव पठरा, बडवारा, पोड़ी, चपहनी, बिजोरी, रोहनिया, मझगांव, विकासखण्ड बहोरिंबंद के ग्राम किरदार्ई पिपरिया, पोड़ी, कड़ा, बाकल, विकासखण्ड रीठी के ग्राम बरहटा, कैना, पटेद्दरा, रीठी, डांग, विकासखण्ड विजयराधवगढ़ ग्राम रमना, रोहनिया, द्विरिया, नन्हवारा कला, विकासखण्ड कटनी के कटनी शहर, बंडा, छहरी, पहाड़ी, खिरैहनी, द्विझरी आदि गाँव में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने द्वेषु गाँव के लोगों के सहयोग से कोरोना बीमारी से बचाओं द्वेषु जनता कर्फूलगाया गया है। लोगों को इस भीषण बीमारी से बचाओ के लिए दो गज की दूरी-मास्क है जरुरी मेरी सुरक्षा मेरा मास्क निरंतर साबुन के पानी या सैनीटाइजर से बार-बार हाथ धोने, घर पर ही रहने, सर्दी, खासी, बुखार के लक्षण होने पर अस्पताल में जाँच करने द्वेषु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर संदेश लेखन, चिन्हित टीकाकरण केंद्र में लोगों की लाइन लगावाकर टीकाकरण करवाने हेतु प्रेरित करना तथा लोगों की भान्तिया दूर करने का कार्य भी सतत रूप से जारी है। इतना ही नई स्वयंसेवकों द्वारा मास्क तैयार करना एवं वितरण करने का कार्य भी किया जा रहा है। शासन के लॉकडाउन का पालन करवाने, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारीयों व कर्मचारियों का निरंतर सहयोग किया जा रहा है। स्वयंसेवकों द्वारा मुडवारा रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना, लाइन लगावाना, थर्मल स्कैनिंग करना, मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाने, रेलवे प्रशासन का सहयोग किया किया जा रहा है। स्वयंसेवक निस्वार्थ भावना से समाजहित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अमित गर्म, विकास गौतम, विकास यादव, पंकज नामदेव, धीरेन्द्र द्विवेदी, अनुभव रावत, एवं वर्तमान राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक तृष्ण जैन, हेमंत गुप्ता, अशोक चौहान, साक्षी सोनिया, अदित्य दुबे, महक बडगौया, विवेक गौतम, सतीश साहू, रामकुमार, मिथलेश कुमार, शुभम श्रीवास, नरेन्द्र कुशवाहा, औंकित सानी, सोनाली ताम्रकार, युवा/महिला मंडल के साथी गण कटनी जिले को कोरोना बीमारी से मुक्ति दिलाने में दिन-रात कार्य कर रहे हैं।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਰੀਂ ਜੋਨ ਕਾਰਾਲਿਏਂ ਮੈਂ ਸਚਾਲਿਤ ਛੋਂਗੇ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਨਦ੍ਰ

कटनी। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार कि
कोरोना-3 अभियान के तहत आमजनों की सुविधा के लिए
7 मई से 25 मई तक किल कोरोना-3 अभियान संचालित
किया जाएगा।

किया जाना ह। कल कराना-
अभियान की अवधारणा सर्दी, खांसे-
बुखार के लक्षण युक्त रोगियों वे
प्राथमिक उपचार एवं सर्वेलेस्न हेतु ब-
र्पा है। उत्तरेतामा पर्याप्त स्थिर-

गई हा कलक्टर एवं प्रशासक प्रयत्न
मिश्रा के निर्देशन में निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वा
अभियान के क्रियान्वयन एवं आमजनों की सुविधा व
दृष्टिष्ठात रखते हुए नगर पालिक निगम के चारों जो
कार्यालयों में वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक के नागरिकों हैं
जोन क्रमांक 1 न्यू बस स्टेण्ड आडिटोरियम परिसर, वा
क्रमांक 12 से 21 तक के नागरिकों हेतु जोन क्रमांक
खिरही आंगनबाड़ी भवन में, वार्ड क्रमांक 22 से 33 तक
के नागरिकों हेतु जोन क्रमांक 3 टी सी बजान विद्याल
परिसर तथा वार्ड क्रमांक 34 से 45 तक के नागरिकों हैं
—



नियुक्त कर अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाकर कोविड सहायता केन्द्रों में उपस्थित रहकर जिला स्वास्थ्य विभाग ए महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ केन्द्रों की आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये हैं। अभियान के तहत प्रत्येक कोविड सहायता केन्द्र पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, रहवासी संघ के सदस्यों तथा अशासकीय स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से किल करोना समिति का गठन करने एवं शासन निर्देशनुसार केन्द्रों में व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित जोन प्रभारी को दिए गए हैं। निगमायुक्त ने नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कोविड सहायता केन्द्रों एवं आसपास के स्थलों की रोजाना साफ सफाई, कीटनाशक दवा का छिड़काव, सैनेटाइजेशन, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था विद्युत व्यवस्था, कुर्सी टेबिल की व्यवस्था कराने, तथा बैनर फ्लक्स सोशल मैडिया, समाचार पत्र तथा कारोना जागरूकता रथ एवं कचरा संग्रहण वाहनों में लगे माईक के माध्यम से अभियान



सूखे कुएं से महिला व बालक का शव बरामद

शिनाख्त नहीं, पुलिस जाच में जुटी, विजयराघवगढ़ के हरदुआ में सनसनी

कट्टनी। विजयराघवगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम हरदुआ से लगे खेतों में स्थित एक सूखे कुएं में एक महिला व एक बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। समाचार लिखे जाने के तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस मर्ग कायथ कर मृतकों के शिनाख्तगी के प्रयास में लगी थी। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम हरदुआ से लगे सुखीलाल यादव के खेत में स्थित कुआं सूख गया है। कुएं से तेज दुर्गंध आने पर आज सुबह ग्रामीणों ने झांक कर देखा तो कुएं के अंदर सलवार सुट पहने एक महिला का सड़गला शव दिखाई दिया तथा महिला के समीप ही एक बोरी पड़ी थी। जिसमें भी मक्कियां भिनक रही थीं। सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव और बोरी को बाहर निकलवाया तो बोरी के अंदर एक बालक की लाश मिली। विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर के मुताबिक दोनों आपस में मां-बेटे समझ में आ रहे हैं लेकिन स्पष्ट शिनाख्त होने के बाद ही होगा। पुलिस ने दोनों की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी।



हत्या का संदेह

सूखे कुएं के अंदर जिस प्रकार
महिला का शव और बोरी में
बालक का शव मिला है।
उससे यह मामला हत्या का ही लग
हा है। विजयराघवगढ़ थाना
भारी सुधाकर बारस्कर ने बताया
कि मामले में मर्मा कथम कर जांच
नी जा रही है तथा सबसे पहले
पृतकों की शिनाख्तगी के प्रयास
किए जा रहे हैं। शिनाख्त होने के
बाद पुलिस को मामले की गुरुत्व
नलिङ्गों में आसानी होगी।



सांसद कोविड केयर सेंटर पहुंचे विधायक संजय पाठक

कटनी। कोरोना वायरस जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे मरीजों के लिए सायना इंटरनेशनल स्कूल में सर्वसुविधायुक्त सांसद कोविड केर सेटर स्थापित किया गया है। पूर्व मंत्री एवं विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक गत दिवस सांसद कोविड केर सेटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपचाररत मरीजों और इयूटी पर कार्यरत चिकित्सीय स्टॉफ के साथ भेट की। विधायक श्री पाठक ने इस दौरान सभी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने सभी उपचारत मरीजों का मनोबल बढ़ाये हुये उत्साह वर्धन किया। श्री पाठक ने कहा कि कोरोना से आपकी जंग में पॉजिटिव सोच व ऊंचा मनोबल भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कागर होगा। इस दौरान श्री पाठक ने सभी कहा कि

प्रयोग करें, परिस्मर में चल रहे मधुर संगीत में खोकर कारात्मक उर्जा को हटाकर सकारात्मक उर्जा का संचार करें। निश्चित ही जीत आपकी होगी। उल्लेखनीय है कि संसद कोविड केयर सेंटर में जिला चिकित्सालय द्वारा वाइयां, उपचार की किट प्रदान कर पूर्ण स्वस्थ होने तक मरीजों को रखा जा रहा है। **चर्चा, ऑक्सीजन** की उपलब्धता के लिए सासदर वीडी शर्मा द्वारा 20 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई है। इन कोविड-19 के टरों का एक उद्देश्य चिकित्सीय सामग्री के साथ कारात्मक माहोल के साथ पृथक्वास में रहते हुए क्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमण और आगे न फैले वगेना की चैन टूटे, इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

होम क्वारंटाइन के नए नियम, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

मरीज होम आईसोलेशन पर रहेगा या फिर कोविड सेंटर में, आरआरटी लेनी निर्णय, लक्षण रहित एवं कम लक्षण वाले पॉजीटिव केस को लेकर बाहर निर्देश

**सेम्पल देते समय प्रत्येक व्यक्ति
से लिया जा रहा खुदोपणा पर**

कटनी। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन पर अमल करते हुए प्रशासन द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अब सेम्पलिंग के समय प्रत्येक व्यक्ति से स्व-घोषणा पत्र भरवाया जा रहा है। जिसके के मुताबिक जब तक सेम्पल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक उसे अपने घर पर क्वारंटाइन रहना होगा और रिपोर्ट आने के बाद स्व घोषणा पत्र के अनुसार होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का निर्णय आरआरटी टीम द्वारा लिया जाएगा। टीम द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही मरीजों को या तो होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. प्रदीप मुद्दिया ने बताया कि कई मामलों में यह देखने में आया है कि लोग सेम्पल देने के बाद भी घरों और बाहर घूमते रहते हैं और बाद में उनके पॉजीटिव होने के बाद पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो जाता था। संक्रमण पर रोक लगाने की दिशा में ही शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। गैरतबलू है कि इर टिन बड़ी संभव्या में

पॉजीटिव केस निकल रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अब प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना महांग पड़ सकता है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने असिस्टोमेटिक तथा अतिमंद लक्षण बाले कोविड 19 के पृष्ठ केसों के लिए होम आईसोलेशन की व्यवस्था के संबंध में अनुचिभागीय अधिकारी राजस्व एवं इंसीडेन्ट कमाण्डर, समस्त आरआरटी प्रभारी को निर्देश दिये हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि कोविड पॉजीटिव केस के संबंध में आवश्यक कार्यवाच सुनिश्चित की जाए। होम क्वारंटाइन के लिए पॉजीटिव केसों के चिन्हांकन कार्य में न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जिसमें लक्षण रहित असिस्टोमेटिक बाले केस, अतिमंद लक्षण बाले पॉजीटिव केस, 60 वर्ष से नीचे बाले केस 60 वर्ष से ऊपर बाले केस जिनमें को-मार्बिंग कंडीशन नहीं है। कोविड पॉजीटिव के परिवार वेस्ट सदस्य और स्टेबल केसेस के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्यवाही

गाय आधकारा राजस्व एवं इसाडन् जारा किय गय हा।

नयमा का पालन नहीं करने पर हांगा कायवाहा। नए निर्देशों के तहत होम आईसोलेशन के मापदण्ड के अनुसार किन कोविड मरीजों को होम आईसोलेशन अथवा इंस्टीट्यूशनल कोरेन्टाइन में रखा जाएगा, इसका निर्धारण प्रत्येक केस के आधार पर आरआरटी द्वारा किया जाएगा। आरआरटी सेम्पालिंग के समय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भरे गए घोषणा पत्र का अध्ययन कर एवं मौके से उत्तर भरी गई जानकारी का सत्यापन कर होम व्हांटाइन अथवा इंस्टीट्यूशनल व्हांटाइन करने का निर्णय लिया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा होम व्हांटाइन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अन्य लोगों को भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 मध्यप्रदेश एपेंडीमिक डिसीज कोविड-19, विनियमन 2020 एवं आपादा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अंतर्गत

HAPPY BIRTHDAY

अश्विन रैकवार

को जन्मदिन की 11वीं वर्षगांद पर द्वे सारे प्यारे

आशीष टैक्वार (पापा)
श्रीमती रेनू टैक्वार (मम्मी)
श्रीमती ममता टैक्वार (दादी)
श्रीमती श्यामा बाई टैक्वार
(बड़ी नानी)
दशरथ लाल टैक्वार (नाना)
श्रीमती आशा टैक्वार (नानी)



**यहाँ जबलपुर से विज्ञापन की
जगह छोड़ी गई है।**

	<h1>श्रीराम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल</h1> <p>आदर्श कॉलोनी, मेन रोड, नई बस्ती, कटनी 483501 (म.प्र.) फोन : 07622-408444, 409444 मोबा. 8982275111, 8982275222, 8982275333</p>		
<p>प्रतिदिन उपलब्ध</p>	<p>प्रतिदिन उपलब्ध</p>		
<h2>डॉ. वलदेव सिंह</h2> <p>MD (GENERAL MEDICINE) फैमली फिजीशियन पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल हृदय, छाती, गुर्दा एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ</p>	<h2>डॉ. गगन सोनी</h2> <p>BDS डेंटल सर्जन कटनी के सुप्रसिद्ध दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ</p>		
<p>डॉ. अनुराग खरे</p> <p>D.ORTHO, DNB कटनी के सुप्रसिद्ध हृदी रोग विशेषज्ञ</p>	<p>डॉ. कनिका अग्रवाल</p> <p>MBBS., DDV पूर्व चिकित्सक आनामी हॉस्पिटल, मुर्वाई तथा ए सोनार रोग विशेषज्ञ मालवाला, मुर्वाला, शांकिवाल को उपलब्ध</p>	<p>डॉ. जाविर हुसेन</p> <p>MBBS, MD, DM. मरिनेक रोग विशेषज्ञ महिला के प्रोब्लम रिंजिवाल को उपलब्ध</p>	<p>डॉ. अनिमेश गुप्ता</p> <p>MBBS, MD, DM. हृदय रोग विशेषज्ञ महिला के प्रोब्लम रिंजिवाल को उपलब्ध</p>
<p>उपलब्ध विभाग</p> <ul style="list-style-type: none"> मेडीसिन विभाग हृदय रोग विभाग स्ट्री एवं प्रसूति विभाग दंत रोग विभाग हड्डी रोग विभाग न्यायिक संस्कृति विभाग 	<p>हेल्पलाइन नं. 8982275111</p> <p>उपलब्ध सुविधाएँ</p> <ul style="list-style-type: none"> शिशु रोग विभाग मरिनेक रोग विभाग द्रामा विभाग कैंसर विभाग स्थियाधारी विभाग न्यायिक संस्कृति विभाग नार्मल डिलेवरी सीजेरियन डिलेवरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरल सर्जरी आई शी वार्ड सेमी. प्रायवेट वार्ड जनरल वार्ड मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर हेयर ट्रांसप्लान्ट 		